

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

**चावल का निर्यात और उत्पादन**

**2540. श्री राहुल कस्वां:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए चावल का देश-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त अवधि के दौरान चावल के उत्पादन में कमी आई है;
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा चावल का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान चावल (बासमती) और चावल (बासमती को छोड़कर) के निर्यात का देशवार ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान चावल का उत्पादन निम्नानुसार है, जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है:-

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

फसल	मौसम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (दिनांक 24.02.2021 की स्थिति के अनुसार दूसरा अग्रिम अनुमान)
चावल	खरीफ	971.4	1020.4	1022.8	1037.5
	रबी	156.2	144.4	165.9	165.7
	कुल	1127.6	1164.8	1188.7	1203.2

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

(घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)को क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में सुधार, फसल-प्रणाली को बेहतर बनाने, उच्च उपज की किस्मों के बीजों के वितरण, फार्म मशीनरी/संसाधनों के ईष्टतम उपयोग, जल अनुप्रयोग औजारों, पौधा संरक्षण उपायों, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा के सुधार संबंधी तत्वों, किसानों को फसल-प्रणाली आधारित प्रशिक्षणों इत्यादि के द्वारा चावल, गेहूं और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लांच किया गया।

चावल सहित कृषि-वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। चावल सहित कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" का दिसंबर, 2018 से कार्यान्वयन किया जा रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) जो वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन है को चावल सहित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है। एपीडा अपनी स्कीम "कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन स्कीम" के विभिन्न घटकों जैसे अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास एवं बाजार विकास के अंतर्गत चावल सहित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। वाणिज्य विभाग की अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी निर्यातकों/राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

\*\*\*

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2540 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

भारत का शीर्ष 30 देशों को बासमती चावल का निर्यात

मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में

क्र. सं.	देश	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-जनवरी)*
1	सऊदी अरब	829.61	938.91	955.89	737.18
2	इरान	904.73	1556.17	1246.02	476.35
3	ईराक	435.52	399.43	433.92	397.59
4	यमन गणराज्य	161.04	209.95	195.65	230.85
5	यू एस ए	149.01	168.74	181.26	171.13
6	संयुक्त अरब अमीरात	437.66	297.62	209.17	170.34
7	कुवैत	177.91	177.11	201.05	136.85
8	यू के	159.17	106.08	103.79	120.75
9	कतर	82.08	76.08	64.95	85.42
10	ओमान	89.64	96.61	75.87	74.20
11	कनाडा	47.87	53.46	61.33	62.31
12	ऑस्ट्रेलिया	39.80	46.67	51.99	58.43
13	नीदरलैंड	63.26	38.97	45.07	57.34
14	जॉर्डन	52.73	52.57	67.25	55.27
15	इजराइल	38.45	46.11	43.00	41.07
16	मलेशिया	32.97	24.60	34.45	31.44
17	बहरीन आईएस	34.58	37.79	32.45	30.94
18	मॉरीशस	36.48	36.87	30.64	28.25
19	तुर्की	51.64	40.82	33.26	24.68
20	मिस्र अरब गणराज्य	13.22	16.81	20.98	20.11
21	इटली	42.55	16.90	13.21	16.58
22	दक्षिण अफ्रीका	16.38	18.59	19.03	15.19
23	जर्मनी	13.96	11.73	13.49	13.20
24	अज़रबैजान	5.20	12.51	15.53	12.13
25	सिंगापुर	15.04	15.39	14.57	11.22
26	सीरिया	14.29	19.40	19.57	11.10
27	अफ़गानिस्तान	0.00	0.18	0.46	10.98
28	अल्जीरिया	6.86	9.41	12.61	9.47
29	रीयूनियन	10.59	10.55	9.45	8.33
30	इथियोपिया	4.72	9.10	6.93	8.13
उपर्युक्त देशों को कुल निर्यात		<b>3966.99</b>	<b>4545.11</b>	<b>4212.83</b>	<b>3126.83</b>
उपर्युक्त का प्रतिशत हिस्सा		<b>95.14</b>	<b>96.45</b>	<b>96.36</b>	<b>95.70</b>
बासमती चावल का कुल निर्यात		<b>4169.56</b>	<b>4712.44</b>	<b>4372.00</b>	<b>3267.18</b>

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता, (\*अनंतिम)

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2540 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

भारत का शीर्ष 30 देशों को बासमती के अलावा अन्य चावल का निर्यात

मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में

क्र. सं.	देश	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-जनवरी)*
1	बेनिन	314.19	264.16	195.90	353.44
2	नेपाल	240.40	281.15	245.30	319.64
3	टोगो	47.98	93.18	107.90	257.56
4	कोटे डी आइवर	148.95	163.17	107.70	196.97
5	गिन्नी	173.81	175.93	120.41	191.09
6	सेनेगल	263.22	220.83	67.49	183.78
7	मलेशिया	6.09	13.77	28.62	135.59
8	संयुक्त अरब अमीरात	149.21	147.69	130.92	118.85
9	सोमालिया	125.38	120.89	122.95	117.03
10	मेडागास्कर	65.16	48.96	3.69	111.34
11	ईराक	50.20	36.53	50.33	108.81
12	लाईबेरिया	100.20	116.97	79.94	105.45
13	जिबूती	80.19	90.70	69.04	96.58
14	सऊदी अरब	73.38	98.29	62.08	88.11
15	दक्षिण अफ्रीका	55.08	54.35	51.90	76.88
16	बांग्लादेश लोक गणराज्य	835.39	219.35	12.12	63.85
17	मोजाम्बिक	0.80	3.90	4.51	55.04
18	रूस	22.33	28.16	35.03	45.17
19	कैमरून	19.02	2.37	3.49	44.43
20	केन्या	5.28	12.18	3.41	43.31
21	यूएसए	33.28	34.49	31.36	41.44
22	सिंगापुर	35.74	32.86	41.01	40.55
23	अल्जीरिया	11.64	22.43	18.66	39.44
24	कतर	54.05	53.25	45.54	39.11
25	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	2.45	2.18	0.78	35.44
26	ओमान	34.88	38.41	28.69	34.69
27	यमन गणराज्य	52.00	45.42	24.76	33.27
28	अंगोला	6.42	13.12	13.62	29.45
29	फिलीपींस	15.62	57.79	16.98	27.47
30	चीन लोक गणराज्य	0.05	0.97	0.78	26.93
उपर्युक्त देशों को कुल निर्यात		<b>3022.41</b>	<b>2493.45</b>	<b>1724.94</b>	<b>3060.71</b>
उपर्युक्त का प्रतिशत हिस्सा		<b>83.11</b>	<b>82.07</b>	<b>84.92</b>	<b>87.31</b>
बासमती चावल के अलावा अन्य का कुल निर्यात		<b>3636.60</b>	<b>3038.16</b>	<b>2031.25</b>	<b>3505.73</b>

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस कोलकाता, (\*अनंतिम)

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

**चावल का निर्यात**

**2577. श्री अशोक महादेवराव नेते:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चावल का निर्यात किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निर्यातित चावल का वर्ष-वार, देश-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक प्रकार के निर्यातित चावल से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने बासमती चावल के अलावा चावल की अन्य श्रेणियों के निर्यात हेतु कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान बासमती चावल और बासमती चावल के अलावा अन्य चावल का भारत के निर्यात का मूल्य निम्नानुसार है:

मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में

वर्ष	बासमती चावल का निर्यात	बासमती चावल के अलावा अन्य चावल का निर्यात	कुल
2017-18	4169.56	3636.60	7806.16
2018-19	4712.44	3038.16	7750.6
2019-20	4372.00	2031.25	6403.25
2019-20 (अप्रैल-जनवरी)*	3267.18	3505.73	6772.91

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता, \*अनंतिम

विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान चावल (बासमती और बासमती के अलावा अन्य) के निर्यात का शीर्ष 30 देश-वार मूल्य क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

**(घ) और (ङ):** चावल सहित कृषि-वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। चावल सहित कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" का दिसंबर, 2018 से कार्यान्वयन किया जा रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) जो वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन है को चावल सहित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है। एपीडा अपनी स्कीम "कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन स्कीम" के विभिन्न घटकों जैसे अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास एवं बाजार विकास के अंतर्गत चावल सहित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। वाणिज्य विभाग की अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी निर्यातकों/राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

\*\*\*

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2577 के भाग (क) से (ग) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

भारत का शीर्ष 30 देशों को बासमती चावल का निर्यात

मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में

क्र. सं.	देश	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-जनवरी)*
1	सऊदी अरब	829.61	938.91	955.89	737.18
2	इरान	904.73	1556.17	1246.02	476.35
3	ईराक	435.52	399.43	433.92	397.59
4	यमन गणराज्य	161.04	209.95	195.65	230.85
5	यू एस ए	149.01	168.74	181.26	171.13
6	संयुक्त अरब अमीरात	437.66	297.62	209.17	170.34
7	कुवैत	177.91	177.11	201.05	136.85
8	यू के	159.17	106.08	103.79	120.75
9	कतर	82.08	76.08	64.95	85.42
10	ओमान	89.64	96.61	75.87	74.20
11	कनाडा	47.87	53.46	61.33	62.31
12	ऑस्ट्रेलिया	39.80	46.67	51.99	58.43
13	नीदरलैंड	63.26	38.97	45.07	57.34
14	जॉर्डन	52.73	52.57	67.25	55.27
15	इजराइल	38.45	46.11	43.00	41.07
16	मलेशिया	32.97	24.60	34.45	31.44
17	बहरीन आई एस	34.58	37.79	32.45	30.94
18	मॉरीशस	36.48	36.87	30.64	28.25
19	तुर्की	51.64	40.82	33.26	24.68
20	मिस्र अरब गणराज्य	13.22	16.81	20.98	20.11
21	इटली	42.55	16.90	13.21	16.58
22	दक्षिण अफ्रीका	16.38	18.59	19.03	15.19
23	जर्मनी	13.96	11.73	13.49	13.20
24	अजरबैजान	5.20	12.51	15.53	12.13
25	सिंगापुर	15.04	15.39	14.57	11.22
26	सीरिया	14.29	19.40	19.57	11.10
27	अफ़गानिस्तान	0.00	0.18	0.46	10.98
28	अल्जीरिया	6.86	9.41	12.61	9.47
29	रीयूनियन	10.59	10.55	9.45	8.33
30	इथियोपिया	4.72	9.10	6.93	8.13
उपर्युक्त देशों को कुल निर्यात		<b>3966.99</b>	<b>4545.11</b>	<b>4212.83</b>	<b>3126.83</b>
उपर्युक्त का प्रतिशत हिस्सा		<b>95.14</b>	<b>96.45</b>	<b>96.36</b>	<b>95.70</b>
बासमती चावल का कुल निर्यात		<b>4169.56</b>	<b>4712.44</b>	<b>4372.00</b>	<b>3267.18</b>

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता, \*अनंतिम

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2577 के भाग (क) से (ग) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

भारत का शीर्ष 30 देशों को बासमती के अलावा अन्य चावल का निर्यात

मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में

क्र. सं.	देश	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-जनवरी)*
1	बेनिन	314.19	264.16	195.90	353.44
2	नेपाल	240.40	281.15	245.30	319.64
3	टोगो	47.98	93.18	107.90	257.56
4	कोटे डी आइवर	148.95	163.17	107.70	196.97
5	गिन्नी	173.81	175.93	120.41	191.09
6	सेनेगल	263.22	220.83	67.49	183.78
7	मलेशिया	6.09	13.77	28.62	135.59
8	संयुक्त अरब अमीरात	149.21	147.69	130.92	118.85
9	सोमालिया	125.38	120.89	122.95	117.03
10	मेडागास्कर	65.16	48.96	3.69	111.34
11	ईराक	50.20	36.53	50.33	108.81
12	लाइबेरिया	100.20	116.97	79.94	105.45
13	जिबूती	80.19	90.70	69.04	96.58
14	सऊदी अरब	73.38	98.29	62.08	88.11
15	दक्षिण अफ्रीका	55.08	54.35	51.90	76.88
16	बांग्लादेश लोक गणराज्य	835.39	219.35	12.12	63.85
17	मोजाम्बिक	0.80	3.90	4.51	55.04
18	रूस	22.33	28.16	35.03	45.17
19	कैमरून	19.02	2.37	3.49	44.43
20	केन्या	5.28	12.18	3.41	43.31
21	यूएसए	33.28	34.49	31.36	41.44
22	सिंगापुर	35.74	32.86	41.01	40.55
23	अल्जीरिया	11.64	22.43	18.66	39.44
24	कतर	54.05	53.25	45.54	39.11
25	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	2.45	2.18	0.78	35.44
26	ओमान	34.88	38.41	28.69	34.69
27	यमन गणराज्य	52.00	45.42	24.76	33.27
28	अंगोला	6.42	13.12	13.62	29.45
29	फिलीपींस	15.62	57.79	16.98	27.47
30	चीन लोक गणराज्य	0.05	0.97	0.78	26.93
उपर्युक्त देशों को कुल निर्यात		<b>3022.41</b>	<b>2493.45</b>	<b>1724.94</b>	<b>3060.71</b>
उपर्युक्त का प्रतिशत हिस्सा		<b>83.11</b>	<b>82.07</b>	<b>84.92</b>	<b>87.31</b>
बासमती चावल के अलावा अन्य चावल का कुल निर्यात		<b>3636.60</b>	<b>3038.16</b>	<b>2031.25</b>	<b>3505.73</b>

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस कोलकाता, (\*अनंतिम)

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

मर्केडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम

2578. श्री रघु राम कृष्ण राजू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान 'मर्केडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एमईआईएस) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि एमईआईएस के अंतर्गत देश के राजस्व में तीव्र वृद्धि देखी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी हां। सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता वाली एक समिति जो वाणिज्य विभाग और वित्त मंत्रालय के सदस्यों से मिलकर बनी थी, ने वर्ष 2019 में भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) की समीक्षा की थी। समिति की मुख्य सिफारिश थी कि निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण में खपत होने वाली निविष्टियों पर वर्तमान में छूट न दिए जाने वाले केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय करों का रिफंड देने के लिए एक स्कीम लांच की जानी चाहिए जो वैश्विक रूप से स्वीकार्य और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुरूपी सिद्धांत कि निर्यात को जीरो रेटिड होना चाहिए, के सुसंगत हो।

(ख) से (घ): गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान एमईआईएस के अंतर्गत जारी किए गए स्क्रिपों का मूल्य निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	जारी किए गए एमईआईएस स्क्रिपों का मूल्य (करोड़ रु. में)
2017-18	26837.97
2018-19	39724.37
2019-20	39530.45
2020-21*	15452.83

(\*दिनांक 26.02.2021 की स्थिति के अनुसार)

इन वर्षों में एमईआईएस के अंतर्गत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुई है:—

- (i) स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में लगभग 5000 लाइनों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017–18 से आगे लगभग 7500 लाइनों तक एचएस लाइनों की कवरेज में वृद्धि होना।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2017–18 दौरान 2250 से अधिक एचएस लाइनों हेतु एमईआईएस के अंतर्गत दरों को बढ़ाया गया।
- (iii) पूर्व में मैनुअल प्रक्रिया के स्थान पर वर्ष 2018–19 से ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू किया जाना।  
एमईआईएस को दिनांक 01.01.2021 से समाप्त कर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए  
राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)**

2595. श्री विनसेंट एच.पाला:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्यात के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित खाद्य पदार्थ परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या और उनका राज्य-वार वितरण क्या है ;

(ख) क्या उत्तर - पूर्वी राज्यों में से किन्हीं सैनिटरी और फायटो-सैनेटरी (एसपीएस) आवश्यकताओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कृषि - आधारित उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए गुणवत्ता निरीक्षण और प्रमाणीकरण हेतु कोई खाद्य पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला अथवा निर्दिष्ट प्रयोगशाला है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह छोटे निर्यातकों द्वारा अन्य राज्यों में अपने उत्पादों को परीक्षण हेतु भेजने में लगने वाली लागत में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि नहीं करता है और क्या सरकार ने इससे संबंधित कोई अध्ययन किया है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य में उनके कृषि संबंधी निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ड.) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एसपीएस मानकों का अनुपालन करने और कृषि संबंधी निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए देश में परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अवसंरचना में सुधार हेतु किए गए उपाय किए हैं ?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) : परीक्षण प्रयोगशालाओं के एकीकृत आकलन के तहत देश में निर्यात के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या और उनका राज्य - वार वितरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	राज्य	एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	07
2	दिल्ली	05
3	गुजरात	10
4	हरियाणा	11
5	केरल	05
6	कर्नाटक	07
7	मध्य प्रदेश	02
8	महाराष्ट्र	15
9	उड़ीसा	01
10	पंजाब	01
11	राजस्थान	01
12	तेलंगाना	04
13	तमिलनाडु	07
14	उत्तर प्रदेश	01
15	पश्चिम बंगाल	03
	<b>कुल</b>	<b>80</b>

(ख), (ग) और (घ): स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एसपीएस) आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि आधारित उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात हेतु गुणवत्ता निरीक्षण एवं प्रमाणन के लिए असम में एपीडा द्वारा अधिकृत एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है। इसके अतिरिक्त, कोलकाता स्थित दो प्रयोगशालाएं भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यातकों की परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

(ड.) अंतर्राष्ट्रीय एसपीएस मानकों का अनुपालन करने और कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण की अवसरंचना में सुधार के उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अपनी अधिकृत प्रयोगशालाओं की उच्च परिशुद्धता इन्सट्रुमेंटेशन एवं विश्लेषणात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए उनका उन्नयन करने हेतु समय - समय पर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

**दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए**  
**विशेष आर्थिक क्षेत्र**

2619. श्री अरूण सावः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की मुख्य विशेषताएं तथा लक्ष्य क्या हैं;  
(ख) इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है;  
(ग) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के माध्यम से कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में देश को लाभ हो रहा है; और  
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**  
**(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क): विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति अप्रैल, 2000 में शुरू की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, मई, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिस पर 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त हुई। एसईजेड नियम, 2006, 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हुआ। एसईजेड योजना की मुख्य विशेषताएं हैं: -

- (i) एसईजेड में अधिकृत संचालन के प्रयोजन के लिए भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को एक निर्दिष्ट शुल्क मुक्त एन्क्लेव के रूप में समझा जाए ;
- (ii) आयात के लिए कोई लाइसेंस आवश्यक नहीं;
- (iii) विनिर्माण या सेवा गतिविधियों की अनुमति;
- (iv) इकाई उत्पादन शुरू होने से पांच साल की अवधि के लिए सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा का परिकलन संचयी रूप से प्राप्त करेगी;
- (v) घरेलू बिक्री, प्रभावी पूर्ण सीमा शुल्क और आयात नीति के अध्ययाधीन होगी;
- (vi) एसईजेड इकाइयों को उपपट्टे की स्वतंत्रता होगी;

- (vii) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्यात/आयात कार्गो की कोई नियमित जांच नहीं;
- (viii) एसईजेड डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स और इकाइयां, एसईजेड अधिनियम, 2005 में विहित प्रावधान के अनुसार कर लाभों का उपभोग करेंगे ।

देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की अधिसूचना निम्नलिखित द्वारा मार्गदर्शित है:-

- i. अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन
- ii. वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात संवर्धन
- iii. घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना
- iv. रोजगार के अवसरों का सृजन;
- v. अवसंरचना सुविधाओं का विकास

(ख): एसईजेड, अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पूर्व केंद्रीय सरकार के 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और 12 राज्य/निजी क्षेत्र के एसईजेड थे । इसके अतिरिक्त, देश में एसईजेड की स्थापना करने के लिए 425 प्रस्तावों को एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है । वर्तमान में, 378 एसईजेड अधिसूचित किये गये हैं, जिनमें से 265 एसईजेड प्रचालनशील हैं । एसईजेड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - वार ब्यौरा अनुबंध - । में दिया गया है ।

(ग) और (घ) : जी हां, भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 8 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को मंजूरी दी गई है । इन 8 एसईजेड में से 7 को अधिसूचित किया गया है और 4 प्रचालनशील हैं । भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण एसईजेडस का विवरण दर्शाने वाला एक ब्यौरा अनुबंध -II पर दिया गया है । पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष 2020-21 (अर्थात 31 दिसंबर, 2020 तक) के दौरान इन एसईजेड से निर्यात निम्नानुसार है :

वर्ष	निर्यात (मूल्य करोड रूपए में )
2015-16	2365
2016-17	4061
2017-18	4117
2018-19	4405
2019-20	5219
2020-21 (31.12.2020 तक)	5456

\*\*\*\*\*

अनुमोदित एसईजेड का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार वितरण					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसईजेड अधिनियम, 2005 अधिनियमित होने से पहले केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत औपचारिक अनुमोदन	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल प्रचालनशील सेज (एसईजेड अधिनियम से पहले सहित + एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत)
आंध्र प्रदेश	1	0	32	27	24
चंडीगढ़	0	0	2	2	2
छत्तीसगढ़	0	0	2	1	1
दिल्ली	0	0	2	0	0
गोवा	0	0	7	3	0
गुजरात	1	2	26	22	21
हरियाणा	0	0	25	22	7
झारखंड	0	0	2	2	0
कर्नाटक	0	0	63	52	34
केरल	1	0	29	25	20
मध्य प्रदेश	0	1	12	7	5
महाराष्ट्र	1	0	51	45	37
मणिपुर	0	0	1	1	0
नागालैंड	0	0	2	2	0
उड़ीसा	0	0	7	5	5
पुडुचेरी	0	0	1	0	0
पंजाब	0	0	5	3	3
राजस्थान	0	2	5	4	3
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1	4	56	53	48
तेलंगाना	0	0	63	56	34
त्रिपुरा	0	0	1	1	0
उत्तर प्रदेश	1	1	24	21	14
पश्चिम बंगाल	1	2	7	5	7
<b>कुल योग</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>425</b>	<b>359</b>	<b>265</b>

\*\*\*\*\*

## अनुबंध-11

भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड की सूची			
क्रम सं.	विकासकर्ता का नाम	स्थान	एसईजेड की स्थिति
1	केरल इंडस्ट्रीयल इन्फ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (किन्फ्रा)	मलप्पुरम जिला, केरल	अधिसूचित और प्रचानलशील
2	पैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित और प्रचानलशील
3	सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लि0	तूतीकोरिन जिला, तमिलनाडु	अधिसूचित और प्रचानलशील
4	सीसीएल उत्पाद (इंडिया) लिमिटेड	चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित और प्रचानलशील
5	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	दीमापुर, नागालैंड	अधिसूचित
6	अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड	सोनीपत, हरियाणा	अधिसूचित
7	त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	पश्चिम जलेफा, सबरूम, दक्षिण त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा	अधिसूचित
8	अक्षयपात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लिमिटेड	मेहसाणा, गुजरात	औपचारिक

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

आवश्यक वस्तुओं का निर्यात

**2629. श्री हरीश द्विवेदी:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश द्वारा निर्यातित आवश्यक वस्तुओं का वस्तु-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में कोई वृद्धि/गिरावट दर्ज हुई है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत का आवश्यक वस्तुओं के निर्यात (व्यापार श्रेणी वार) का मूल्य अनुलग्नक-I पर है।

(ख) और (ग): गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत का आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का मूल्य और प्रतिशत परिवर्तन (वृद्धि/कमी प्रदर्शित करते हुए है) निम्नानुसार है:

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

वर्ष	आवश्यक वस्तुओं का निर्यात	प्रतिशत परिवर्तन
2015-16	45,721.80	--
2016-17	45,914.87	0.42
2017-18	54,337.88	18.34
2018-19	64,377.05	18.48
2019-20	56,260.64	-12.61
2019-20 (अप्रैल-जनवरी)	47,544.88	---
2020-21 (अप्रैल-जनवरी) *	34,754.26	-26.90

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, \*अनंतिम

आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में परिवर्तन अनेक वैश्विक और घरेलू कारकों जैसे कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति, कोरोना महामारी के दौरान विश्वभर में लॉकडाउन, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, नीति हस्तक्षेप, मौसम की परिस्थितियों आदि के कारण हुए हैं।

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2629 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

भारत का आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का मूल्य

मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में

क्र. सं.	वस्तु	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 (अप्रैल-जनवरी)	2020-21 (अप्रैल-जनवरी)*
1	बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स	3594.6	3383.52	3540.42	3911.14	3885.87	3283.92	3660.58
2	सूती धागा	3608.12	3337.49	3424.92	3895.52	2760.51	2280.29	2177.57
3	सुगंधित तेल	115.44	112.45	146.17	171.8	204.98	171.46	194.17
4	कच्चा उर्वरक	11.83	9.17	12.56	11.85	12.62	10.57	11.51
5	विनिर्मित उर्वरक	91.7	60.33	93.82	136.84	104.86	82.55	86.51
6	जूट का फ्लोर कवरिंग	34.01	37.75	46.48	53.01	70.29	59.33	74.66
7	ताजी सब्जियां	799.93	863.12	821.76	812	651.68	546.65	598.25
8	फल/सब्जी के बीज	80.89	78.16	104.04	124.93	109.24	94.07	105.91
9	जूट का टाट	125.54	138.23	141.23	113.81	103.04	88.59	83.02
10	जूट का धागा	18.34	10.65	20.2	15.58	16.57	12.88	11.88
11	जूट, कच्चा	17.18	11.44	14.81	15.3	14.6	12.49	19.23
12	अन्य अनाज	261.18	212.3	248.59	348.97	205.19	171.36	515
13	अन्य जूट विनिर्माण	117.47	123.31	127.17	142.53	152.71	131.29	115.36
14	पेट्रोलियम उत्पाद	30582.64	31545.26	37465.08	46553.58	41288.74	35329.08	19763.27
15	दालें	252.09	191.05	227.75	259.35	213.67	177.62	224.24
16	चावल (बासमती)	3477.98	3208.6	4169.56	4712.44	4372	3397.57	3267.19
17	चावल (बासमती के अलावा)	2368.64	2525.19	3636.6	3038.16	2031.25	1638.88	3505.74
18	गेहूँ	164.22	66.85	96.72	60.24	62.82	56.28	340.17
<b>उपरोक्त वस्तुओं का निर्यात</b>		<b>45721.8</b>	<b>45914.9</b>	<b>54337.9</b>	<b>64377.1</b>	<b>56260.6</b>	<b>47544.9</b>	<b>34754.3</b>

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता (\*अनंतिम)

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए  
इस्पात आयात निगरानी तंत्र

2631. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ऐसा कोई निगरानी तंत्र विकसित किया है जो सरकार और अन्य हितधारकों को इस्पात आयात संबंधी अग्रिम जानकारी मुहैया कराएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह भी तथ्य है कि इस्पात आयातकों को आटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम जानकारी प्रस्तुत करनी पड़ेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) खेप के लिए सीमा शुल्क संबंधी स्वीकृति के लिए आयात-पत्र में आयातकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और दस्तावेजों की वैधता का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या इससे पारदर्शिता आएगी और अत्यधिक और कम चालान प्रक्रिया की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): इस्पात के अभिप्रेत आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस), दिनांक 05.09.2019 की अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा लांच की गई। अभिप्रेत इस्पात आयातकों को आयात की वास्तविक तिथि से 15-60 दिनों पहले ऑनलाइन वेब-पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण संख्या प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करनी होती है।

(ग): पंजीकरण संख्या की वैधता 75 दिनों की अवधि के लिए है जिसे ऑनलाइन एसआईएमएस पंजीकरण वेब-पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। एसआईएमएस पंजीकरण संख्या और इसकी समाप्ति की तिथि के अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज सीमा शुल्क विभाग से खेप की निकासी को समर्थ बनाने हेतु प्रविष्टि बिल (सीआईएमएस से संबंधित) में अनिवार्य रूप से घोषित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(घ): पारदर्शिता लाने के अलावा, एसआईएमएस ने समयबद्ध तरीके से देश में आयात किए जा रहे इस्पात की सटीक श्रेणियों को चिन्हित करने में इस्पात मंत्रालय और उद्योग जगत की सहायता की है।

\*\*\*\*\*

**दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए**

तंबाकू की खेती करने वाले किसान

2651. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तंबाकू की खेती करने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने में विफल रही है जबकि वर्ष 2019 से इसकी उत्पादन लागत में तेजी से वृद्धि हुई है और फसल मूल्य में काफी अधिक गिरावट आई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तंबाकू की अलाभकारी कीमतों के कारण किसानों को घाटा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) और (ख) : तंबाकू बोर्ड, एफसीवी तंबाकू किसानों और व्यापारियों के साथ परामर्श करके न्यूनतम गारंटी सूचक कीमत (एमजीआईपी) निर्धारित करके एफसीवी तंबाकू किसानों को उचित और लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करता है। एफसीवी तंबाकू उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में संकेंद्रित है। वर्ष 2019-20 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बेमौसम वर्षा और कोविड महामारी के बावजूद एफसीवी किसानों की कीमत प्राप्ति एमजीआईपी से अधिक थी।

(ग): तंबाकू बोर्ड, व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए निर्दिष्ट नीलामी मंचों पर एफसीवी तंबाकू की बिक्री हेतु ई - नीलामी आयोजित करता है, ताकि बेहतर कीमत प्राप्त की जा सके। इसके अतिरिक्त, किसानों को बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए, तंबाकू

बोर्ड अनेक उपज और गुणवत्ता उन्नयन गतिविधियां करता है जैसे गुणवत्ता पूर्ण तंबाकू के उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुटों अर्थात बीज, उर्वरक आदि की आपूर्ति को सुकर बनाना, तंबाकू के उपचार में लकड़ी के ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए उर्जा संरक्षण के उपाय, तकनीकी परामर्श सेवाओं के लिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान से वैज्ञानिकों के साथ क्षेत्र दौरा आदि का आयोजन करता है ।

\*\*\*\*\*

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

**ब्रांड इंडिया मिशन**

2660. श्री फिरोज वरुण गांधी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्रांड इंडिया मिशन शुरू करने के लिए योजना बना रही है और यदि हां, तो इस मिशन के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ब्रांड इंडिया मिशन के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मिशन के अंतर्गत प्राप्त करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी हितधारकों को निधियों के आबंटन तथा इसके कार्यान्वयन के लिए उनकी राय जानने हेतु आमंत्रित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.) : ब्रांडिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार ब्रांड इंडिया के लिए अपनी एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न मंचों पर प्रत्येक अवसर का उपयोग कर रही है। अब तक, कोई विशिष्ट औपचारिक ब्रांड इंडिया मिशन नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2664

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला

2664. डॉ. शशि थरूर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोविड - पश्च विश्व में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पुनर्विन्यासन न केवल लागतों के आधार पर बल्कि आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा के आधार पर भी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसको भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर से जान डालने तथा इसकी विवेकपूर्ण तरीके से पुनर्संरचना करने के लिए काफी अच्छे अवसर के रूप में करने पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने कोई कार्यनीतिक योजना तैयार की है जो कि वैश्वीकरण के नवीनतम झुकाव के अनुरूप है तथा भारत के 1.32 बिलियन उपभोक्ताओं को वैश्विक विनिर्माताओं को दीर्घावधिक व्यवहार्यता के लिए लाभपूर्ण अवसर के रूप में प्रस्तुत करता है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.) : भारत सरकार ने विश्वसनीय एवं पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए घरेलू विनिर्माण के सुदृढीकरण और कई व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार संबंधों को

प्रोत्साहन देने सहित अनेक कदम उठाए हैं। गतिशील विश्व में परिवर्तनशील अपेक्षाओं के आधार पर, इन व्यापार संबंधों को प्रोत्साहन देना और अन्य यथोचित उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा मुक्त व्यापार करार अधिमान्य शर्तों पर घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के लिए समेकित आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। कुछ विशिष्ट सहायता उपायों में विनिर्माण के चैंम्पियन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, चैंम्पियन सेवा सेक्टर स्कीम का शुभारम्भ, औद्योगिक पार्कों की स्थापना जैसे वस्त्र क्षेत्र के लिए मेगा टैक्सटाइल पार्क, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम की शुरुआत इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, व्यवसाय करने में सुगमता लाने और निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण एवं सरलीकरण करने के लिए, सरकार ने कुछ क्षेत्रों में एफडीआई की नीति को अधिक उदार बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

व्यापारिक साझेदारों के साथ अधिमान्य टैरिफ करारों के साथ किए गए विभिन्न उपाय आपूर्ति श्रृंखला की व्यवहार्यता और एकीकरण को सुनिश्चित करेंगे।

\*\*\*

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

केरल में मसाला पार्क

2678. श्री वी.के.श्रीकंदन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल में उत्पादित मसालों की व्यापक संभावना का दोहन करने के लिए राज्य में मसाला पार्कों की स्थापना पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : मसाला बोर्ड ने देश में निर्यात अवसंरचना और संबद्ध गतिविधियों के विकास के लिए राज्य सहायता स्कीम (एएसआईडीई) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से केरल के इडुक्की जिले के पुट्टादी में एक मसाला पार्क की स्थापना सहित प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में आठ मसाला पार्कों की स्थापना की है। वर्तमान में, केरल राज्य में मसाला पार्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत सरकार की उपलब्ध स्कीमों के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों सहित पात्र निकाय मसाला बोर्ड से तकनीकी सहायता और अवसंरचना सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ग) और (घ) : सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 10 मार्च,2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

**डाटा संबंधी मानदंडों में लचीलापन**

2712. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) क्या ब्रिटेन ने व्यापार और निवेश संधि की बातचीत के भाग के रूप में भारत के डाटा संबंधी मानदंडों में लचीलेपन की मांग की है;
- (ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या दोनो देशों ने एक-दूसरे से आयात और निर्यात की जा रही वस्तुओं पर शुल्कों कम करने को कहा है;
- (घ) यदि हां, तो अप्रैल 2021 में दोनो देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता से पहले दोनों देशों द्वारा क्या आधार निर्धारित किये गए हैं; और
- (ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): जी नहीं ।

(ग) से (ङ) : भारत और यूके के मध्य दिनांक 6 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित व्यापार मंत्रीस्तरीय बैठक के दौरान इस वर्ष बाद में यूके के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान एक संवर्धित व्यापार साझेदारी (ईटीपी) आरम्भ करने पर सहमति हुई। तदनुसार, दोनों पक्ष ईटीपी की रूपात्मकताओं को अंतिम रूप देने के लिए एक दूसरे के साथ व्यापक वार्ता कर रहे हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का एक भाग है और भारत और यूके के मध्य नियमित द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के एक भाग के रूप में दोनों पक्ष द्विपक्षीय हितों के सभी मुद्दों पर चर्चा करना और उनका समाधान करना जारी रखेंगे ।

\*\*\*\*\*

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों का निर्यात

**2592. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए कुल उत्पादों में निर्यात किए गए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों का प्रतिशत कितना है;
- (ख) क्या सरकार का विचार बेहतर अवसंरचना प्रदान करने के द्वारा और अन्य देशों में प्रयोग में लाई जा रही नई तकनीकों को अपनाने के लिए भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों के उत्पादकों एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करने का है; और
- (ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): गत पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान एमएसएमई द्वारा विनिर्माण हेतु आरक्षित 358 मदों के निर्यात के अनुमानित मूल्य का प्रतिशत हिस्सा और भारत के कुल निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से संबंधित उत्पादों के निर्यात के अनुमानित मूल्य का प्रतिशत हिस्सा निम्नानुसार है:-

**मूल्य बिलियन अमरीकी डालर**

वर्ष	भारत का कुल निर्यात	एमएसएमई द्वारा विनिर्माण हेतु आरक्षित उत्पादों का निर्यात	प्रतिशत हिस्सा	एमएसएमई से संबंधित उत्पादों का निर्यात	प्रतिशत हिस्सा
2015-16	262.29	24.18	9.22	130.77	49.86
2016-17	275.85	23.96	8.69	137.07	49.69
2017-18	303.53	26.82	8.84	147.39	48.56
2018-19	330.08	27.53	8.34	158.76	48.10
2019-20	313.36	27.20	8.68	155.91	49.75
2020-21 (अप्रैल-दिसंबर)*	201.28	18.34	9.11	99.58	49.47

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता एवं एमएसएमई मंत्रालय (\*: अंतिम)

**(ख) और (ग):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने अवसंरचना विकास हेतु विभिन्न स्कीमें प्रारंभ की है जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर डेवेलपमेंट प्रोग्राम (एमएसई-सीडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई के संवर्धन हेतु स्कीम, परंपरागत उद्योगों के पुनरुत्थान हेतु निधि संबंधी स्कीम (एसएफयूआरटीआई), उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और परीक्षण/प्रौद्योगिकी केन्द्रों के माध्यम से कौशल वृद्धि करना, टूलींग/प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु सहायता इत्यादि।

सरकार ने क्रेडिट से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी, अल्प विनिर्माण, डिजाइन में सुधार, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाण-पत्र, इक्यूबेटर्स हेतु सहायता, बौद्धिक संपदा अधिकारों और एमएसएमई के डिजीटल सशक्तिकरण संबंधी जागरूकता, खरीद एवं विपणन स्कीम (पीएमएस), नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एक स्कीम, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता (एसपीआईआरई), क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), एमएसएमई हेतु ब्याज छूट स्कीम द्वारा एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें भी की हैं।

\*\*\*\*\*

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

**कॉटन यार्न का निर्यात**

**2671. श्री राहुल गांधी:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जनवरी 2020 से निर्यात किए गए कॉटन यार्न का माह-वार तथा निर्यात गंतव्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या मंत्रालय को कॉटन यार्न की कीमत में तीव्र वृद्धि के बारे में वस्त्र उद्योग से कोई अभ्यावेदन तथा मूल्यों को स्थिर करने हेतु उचित हस्तक्षेप कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या उनकी चिंताओं के समाधान के लिए कोई कार्रवाई शुरू की गई है;
- (घ) क्या सरकार ने लॉकडाउन के पश्चात् भारतीय वाणिज्य उद्योग की सहायता तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं; और
- (ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

**(क) :** जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक भारत के सूती धागे के निर्यात का मूल्य निम्नानुसार है:

माह	सूती धागे के निर्यात का मूल्य (अमेरिकी मिलियन डॉलर में)
जनवरी, 2020	284.20
फरवरी, 2020	266.48
मार्च, 2020	213.75
अप्रैल, 2020	52.60
मई 2020	153.83
जून, 2020	244.02
जुलाई, 2020	255.09
अगस्त, 2020	234.50
सितम्बर, 2020	239.48
अक्टूबर, 2020	227.58
नवम्बर, 2020	239.33
दिसम्बर, 2020	271.04
जनवरी, 2021	260.09

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 के दौरान सूती धागे का शीर्ष 30 देश-वार और माह-वार मूल्य अनुलग्नक-I पर दिया गया है।

**(ख) और (ग) :** निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर व्यापार संगठनों/निर्यात संवर्धन परिषदों से अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त होते हैं, जिन्हें व्यापार नीतियों की समीक्षा और सुधार की नियमित चल रही प्रक्रिया के भाग के रूप में ध्यान में रखा जाता है। वस्त्र मंत्रालय को सूती धागे की कीमत में तीव्र वृद्धि के कारण परिधान निर्यातकों के लिए धागे की उपलब्धता में सुधार के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है।

**(घ) और (ङ.)** सरकार ने भारतीय व्यापारिक वस्तु उद्योग को सहायता देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं:

- 1) कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण विदेश व्यापार नीति (2015-20) की वैधता एक वर्ष अर्थात् 31.3.2021 तक बढ़ा दी गई है।
- 2) शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण योजना भी एक वर्ष अर्थात् 31.03.2021 तक बढ़ायी गयी है।
- 3) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) की एक नई स्कीम दिनांक 01.01.2021 से शुरु की गई है।
- 4) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए, सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- 5) सरकार व्यापार मेले, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेताओं की बैठक आदि का आयोजन करने और उसमें भाग लेने के लिए बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत वस्त्र एवं परिधान निर्यात के संवर्धन में लगे हुए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- 6) कोविड-19 महामारी के दौरान, वैश्विक बाजारों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए, विपणन के एक वैकल्पिक तरीके के रूप में वस्त्र ईपीसी द्वारा वर्चुअल प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है।
- 7) कृषि, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- 8) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करने के द्वारा निर्यात हब के रूप में जिले को बढ़ावा देना, इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करना और जिले में रोजगार पैदा करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करना।
- 9) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।
- 10) कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में विविध राहत उपायों के माध्यम से, घरेलू उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई जिनका निर्यात में प्रमुख हिस्सा है, को सहायता देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2671 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

भारत का शीर्ष 30 देशों को सूती धागे का निर्यात

मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में

क्र. सं.	देश	जनवरी-20	फरवरी-20	मार्च-20	अप्रैल-20	मई-20	जून-20	जुलाई-20
1	बांग्लादेश पीआर	68.00	74.83	62.78	12.34	31.88	65.74	75.69
2	चीन पीआरपी	67.44	42.37	29.92	12.55	41.30	72.73	56.79
3	वियतनाम सो.रि	12.62	16.44	13.06	2.86	13.11	13.10	13.55
4	मिस्र ए आर पी	25.63	18.02	10.90	1.70	7.36	9.59	11.94
5	पेरू	9.99	12.31	9.46	0.70	0.70	3.83	10.08
6	पुर्तगाल	13.19	14.37	9.68	2.36	6.42	8.60	9.87
7	कोरिया आरपी	11.41	9.46	5.70	1.80	5.02	5.46	6.73
8	श्री लंका डीएसआर	6.08	7.32	4.56	2.14	4.51	5.82	5.55
9	तुर्की	4.91	7.02	7.91	1.85	5.73	9.16	9.94
10	कोलंबिया	4.87	5.69	5.84	1.37	1.34	1.44	1.82
11	जर्मनी	4.75	5.56	4.47	1.03	4.11	3.93	4.38
12	म्यांमार	3.89	5.22	2.82	0.60	1.43	3.44	4.73
13	जापान	3.35	3.54	2.07	2.04	2.35	2.67	2.17
14	इटली	3.86	3.40	2.73	0.28	2.26	2.61	2.93
15	मॉरीशस	1.81	2.24	2.73	0.28	1.45	1.82	2.62
16	मलेशिया	3.18	2.58	3.11	0.66	3.08	2.29	1.92
17	थाइलैंड	3.02	3.59	2.98	0.67	1.45	2.90	3.36
18	ओमान	2.47	1.83	2.55	0.00	0.74	3.61	3.64
19	ब्राजील	1.64	0.94	1.64	0.09	0.62	0.16	0.13
20	ग्वाटेमाला	2.72	2.33	2.17	0.73	0.78	1.00	2.14
21	पोलैंड	1.74	1.44	1.88	0.90	2.37	2.35	2.87
22	ताइवान	1.84	1.64	2.30	0.67	2.00	1.35	1.44
23	इंडोनेशिया	2.98	2.50	2.90	0.71	0.81	1.22	0.93
24	यू.एस.ए.	1.22	1.44	1.54	0.22	1.76	1.66	1.35
25	मोरक्को	2.48	3.20	1.80	0.35	0.14	0.26	1.13
26	ट्यूनीशिया	0.42	1.06	0.98	0.37	1.24	2.12	1.78
27	हांगकांग	1.44	0.69	0.65	0.06	0.70	1.18	0.32
28	फिलीपींस	2.19	2.42	2.30	0.12	0.06	0.56	1.03
29	चिली	0.52	0.91	0.54	0.31	0.68	1.15	0.95
30	ईरान	2.09	0.58	1.79	0.31	1.09	2.32	2.78
उपर्युक्त का कुल		<b>271.76</b>	<b>254.94</b>	<b>203.74</b>	<b>50.06</b>	<b>146.50</b>	<b>234.05</b>	<b>244.55</b>
प्रतिशत हिस्सा		<b>95.62</b>	<b>95.67</b>	<b>95.32</b>	<b>95.18</b>	<b>95.24</b>	<b>95.91</b>	<b>95.87</b>
सूती धागे का कुल निर्यात		<b>284.20</b>	<b>266.48</b>	<b>213.75</b>	<b>52.60</b>	<b>153.83</b>	<b>244.02</b>	<b>255.09</b>

क्र. सं.	देश	अगस्त-20	सितम्बर-20	अक्तूबर-20	नवम्बर-20	दिसम्बर-20	जनवरी-21
1	बांग्लादेश पीआर	64.44	62.22	57.16	46.38	52.41	53.29
2	चीन पीआरपी	39.71	38.93	35.94	68.58	66.89	58.02
3	वियतनाम सो.रि	10.46	9.09	13.01	13.62	20.73	21.59
4	मिस्र ए आर पी	9.08	10.96	12.30	9.97	14.62	13.29
5	पेरू	17.46	20.55	20.05	15.66	14.51	14.39
6	पुर्तगाल	18.84	17.54	13.10	10.85	5.77	6.12
7	कोरिया आरपी	6.74	5.66	6.15	8.67	13.50	13.04
8	श्री लंका डीएसआर	6.24	8.07	7.89	7.08	6.75	8.40
9	तुर्की	8.14	5.69	2.67	1.92	1.90	2.16
10	कोलंबिया	2.01	4.76	5.84	7.62	8.60	11.11
11	जर्मनी	3.73	4.09	4.05	3.34	5.67	3.69
12	म्यांमार	4.74	4.30	1.40	2.54	3.77	3.28
13	जापान	1.30	3.05	1.88	2.21	3.74	3.26
14	इटली	3.54	2.66	2.48	1.73	2.64	1.75
15	मॉरीशस	3.22	3.36	3.46	2.14	4.23	2.45
16	मलेशिया	0.90	1.88	2.77	1.62	4.07	3.39
17	थाइलैंड	2.26	2.20	2.88	2.17	2.09	1.73
18	ओमान	3.33	4.28	2.55	2.92	1.25	1.27
19	ब्राज़ील	0.38	2.98	5.35	5.13	5.71	4.53
20	ग्वाटेमाला	2.75	1.86	2.26	2.21	2.95	3.55
21	पोलैंड	2.55	2.69	1.27	1.32	1.07	1.48
22	ताइवान	1.74	1.45	2.60	1.31	1.90	1.74
23	इंडोनेशिया	1.87	1.54	0.71	1.63	2.32	1.33
24	यू.एस.ए.	1.80	1.75	1.16	1.33	1.91	2.56
25	मोरक्को	1.40	2.13	0.93	1.73	1.22	1.72
26	ट्यूनीशिया	0.99	0.94	1.61	0.86	0.81	1.27
27	हांगकांग	0.70	1.17	1.53	1.08	2.71	1.26
28	फिलीपींस	0.87	0.33	1.06	0.76	0.46	1.02
29	चिली	0.70	0.99	1.50	1.52	1.22	1.78
30	ईरान	1.56	0.12	0.10	0.00	0.00	0.00
उपर्युक्त का कुल		<b>223.47</b>	<b>227.23</b>	<b>215.68</b>	<b>227.87</b>	<b>255.41</b>	<b>244.47</b>
प्रतिशत हिस्सा		<b>95.30</b>	<b>94.88</b>	<b>94.77</b>	<b>95.21</b>	<b>94.23</b>	<b>93.99</b>
सूती धागे का कुल निर्यात		<b>234.50</b>	<b>239.48</b>	<b>227.58</b>	<b>239.33</b>	<b>271.04</b>	<b>260.09</b>

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

\*\*\*\*\*

**दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की रक्षा**

**2713. श्री जगदम्बिका पाल:**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत प्रदान किए गए 'अनुसूचित उत्पादों और विशेष उत्पादों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ;
- (ख) महत्वपूर्ण देशों और क्षेत्रों में 'विशेष उत्पादों' के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण का ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है; और
- (ग) देश की अमूल्य बौद्धिक संपदा की रक्षा हेतु एपीईडीए को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): भारत में या भारत के बाहर, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिनियम एपीडा को अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध 'विशेष उत्पादों' के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण एवं संरक्षण के उपाय करने को अधिदेशित करता है। आज की स्थिति के अनुसार, द्वितीय अनुसूची में केवल एक ही प्रविष्टि है अर्थात् "बासमती चावल"। एपीडा ने बासमती चावल के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण एवं संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) जीआई रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 15.02.2016 को जारी प्रमाणपत्र के तहत बासमती चावल को भौगोलिक संकेतक (जीआई) के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है।
- (ii) दुनिया भर में किसी भी तीसरे पक्ष के 'बासमती' या उसके किसी भी भ्रामक बदलाव के नाम पर ट्रेडमार्क दर्ज करने के प्रयास पर नजर रखने के लिए एक निगरानी एजेंसी नियुक्त की गई है। दुनिया भर में 607 ऐसे प्रयासों के संबंध में विरोध, सुधार, सिविल सूट, संघर्ष और डेसिस्ट नोटिस, सौहार्दपूर्ण निपटान आदि के माध्यम से कार्रवाई की गई है।
- (iii) भारत और विदेशी न्यायालयों दोनों में 'बासमती' के लिए जीआई / प्रमाणन चिन्ह की रक्षा करने के लिए परिणामी विधिक मामलों की शुरुआत करने/उनसे निपटने के लिए एक विधि फर्म को अनुबंधित किया गया है।

(ख): 'बासमती' में निहित जीआई/प्रमाणन मार्क की संरक्षा के लिए 19 विदेशी न्यायालयों में आवेदन फाइल किये गये हैं। अब तक, प्रमाणन मार्क 'बासमती' और इसके लोगो को 4 देशों-ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और केन्या में पंजीकृत किया गया है।

(ग): 'विशेष उत्पादों' के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों का पंजीकरण और संरक्षण, कृषि उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के एपीडा के समग्र अधिदेश का एक भाग है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एपीडा, एपीडा की 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन स्कीम' क्रियान्वित करता है, जो केंद्र सरकार द्वारा निधि प्राप्त है।

é  
é

.2715

दिनांक 10 मार्च,2021 को उत्तर दिये जाने के लिए  
एसईजेड पर कोरोना का प्रभाव

2715. श्री बृजेन्द्र सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

( ) â | ¼ ( )

;

( ) , ñ ø â ;

( ) â ;

( ) , ñ ø â ?

é \_\_\_\_\_ é  
( )

( ) ( ): | ¼ ( )

ñ ñ 5  
ñ ( ) | ö

( ) ( ): -19 / - /  
õ ú :

(i) õ | | (â ); ÷ â |  
| | ( ) 31.03.2020

30.06.2020

(ii) â ( ) ö  
( ) õ â  
â , â ö  
â

/ - /

ö

/ | 30.06.2020

|

- (iii) / , /  
 l /  
 l , / ¼ l , ñ  
 l ¼
- (iv) , , ñ / ¼ ñ / ñ / l  
 l - â ,  
 ñ l ô , ñ
- (v) ñ l 2020-21

31 2020

â , â

1 â 2020

- (vi) â é /  
 ¼
- (vii) â â l  
 â , l ,

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. 234

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

आयुष निर्यात संवर्धन परिषद

\*234. श्री रंजीतसिन्हा हिन्दूराव नाईक निम्बालकर:  
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में मूल्य एवं गुणवत्ता संबंधी प्रतिस्पर्धा क्षमता हासिल करने के लिए आयुष हेतु एचएस कोड के मानकीकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘आयुष निर्यात संवर्धन परिषद’ के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 234 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : आयुष मंत्रालय, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए वर्तमान में हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। ईपीसी की स्थापना में अंतर्ग्रस्त प्रक्रियात्मक उपाय किए जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने सूचित किया है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) को वाणिज्य विभाग तथा भारतीय उद्योग के सदस्यों, जिन्होंने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की निधि बनाने में दिलचस्पी दिखाई है, के साथ समन्वय का कार्य सौंपा गया है।

(ग) : आयुर्वेद, होमियोपैथिक, सिद्ध, सोवा रिग्पा तथा यूनानी पद्धति के अधिकांश उत्पाद, हर्बल उत्पाद तथा औषधीय पादप उत्पाद विशिष्ट एचएस कोड्स (इंटरनेशनल हारमोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम) के अंतर्गत अभिज्ञात नहीं किए गए हैं। वर्तमान में, उनका उल्लेख कई एचएस अध्यायों यथा सामान्यतः अध्याय 12, 13, 14, 17, 30 तथा 33 में है। आयुष मंत्रालय द्वारा व्यापार वर्गीकरण बढ़ाने, गुणवत्ता नियंत्रण तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति (आईएसएस) का मानकीकरण करने तथा हर्बल उत्पादों के संबंध में गठित टॉस्क फोर्स की सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

**ईपीजेड तथा एईजेड**

2560. श्री मनोज कोटक:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में स्थापित किए गए निर्यात प्रसंस्करण जोनों (ईपीजेड) तथा कृषिगत निर्यात जोनों (एईजेड) की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) ईपीजेड तथा एईजेड को सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कृषिगत गतिविधियों के संवर्धन हेतु ईपीजेड की स्थापना की गई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

**(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) : एसईजेड अधिनियम 2005 तथा एसईजेड नियम 2006 का अधिनियमन करके निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में परिवर्तित किया गया। एसईजेड अधिनियम, 2005 अधिनियमित होने से पहले केंद्र सरकार के 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) तथा 12 राज्य/निजी क्षेत्र के एसईजेड थे। इसके अतिरिक्त, एसईजेड अधिनियम 2005 के अंतर्गत देश में एसईजेड की स्थापना के लिए 425 प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी गई। वर्तमान में, 378 एसईजेड अधिसूचित हैं जिनमें से 265 प्रचालनरत हैं। एसईजेड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, तत्समय की एक्सिम नीति के अध्याय 16 के अंतर्गत वर्ष 2001 में 60 कृषि निर्यात क्षेत्रों (एईजेड) को अधिसूचित किया गया। इन अधिसूचित एईजेड की सूची **अनुबंध-II** पर दी गई है। सभी 60 एईजेड ने 5 वर्षों की अपनी नियत अवधि पूरी कर ली है।

(ख) : एसईजेड डेवलपर्स और इकाइयों को राजकोषीय तथा गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जाता है। एसईजेड अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार राजकोषीय प्रोत्साहन कर छूट प्रकृति के हैं। एसईजेड डेवलपर्स को अनुमत राजकोषीय प्रोत्साहन इस प्रकार है :-

- (i) एसईजेड के विकास के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का शुल्क मुक्त आयात/घरेलू प्रापण।
- (ii) एसईजेड के अधिसूचित होने के वर्ष से आरंभ से 15 वर्षों में से 10 क्रमगत आकलन वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएबी के अंतर्गत एसईजेड के विकास की गतिविधि से प्राप्त आय पर आयकर की छूट (डेवलपर्स के लिए सनसेट क्लॉज 01.04.2017 से प्रभावी है)।

एसईजेड इकाइयों को अनुमत राजकोषीय प्रोत्साहन इस प्रकार है :-

- (i) एसईजेड इकाइयों के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का शुल्क मुफ्त आयात/घरेलू प्रापण।
- (ii) आयकर अधिनियम की धारा 10ए के अंतर्गत एसईजेड इकाइयों के लिए निर्यात आय पर पहले 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत आय कर छूट, तत्पश्चात अगले 5 वर्षों के लिए 50 प्रतिशत तथा अगले 5 वर्षों के लिए पुनर्निवेशित निर्यात लाभ का 50 प्रतिशत (इकाइयों के लिए सनसेट क्लॉज 01.04.2020 से प्रभावी है)।
- (iii) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिरोपित स्टाम्प शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी शुल्क आदि जैसे कुछ करों की छूट।

एसईजेड इकाइयों तथा डेवलपर्स को अनुमत गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन इस प्रकार है :

- (i) केंद्र तथा राज्य स्तरीय अनुमोदन के लिए एकल खिड़की मंजूरी।
- (ii) द्रुत मंजूरी के लिए समर्पित सीमा-शुल्क विंग।
- (iii) एसईजेड को बीओए के अनुमोदन के अध्यक्षीन प्रतिबंधित/निषिद्ध वस्तुओं के व्यापार करने की अनुमति प्राप्त है।

(ग) और (घ) : जी, हां। भारत में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 8 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का अनुमोदन किया गया है। इन 8 एसईजेड में से 7 को अधिसूचित किया गया है तथा 4 प्रचालनशील है। भारत में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड के ब्यौरे को दर्शाता विवरण अनुबंध-III पर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-I

अनुमोदित एसईजेड के राज्य / केंद्र शासित प्रदेश-वार वितरण					
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित केंद्र सरकार के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित राज्य सरकार/ निजी क्षेत्र के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत दिया गया औपचारिक अनुमोदन	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल प्रचालनशील (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत सहित)
आंध्र प्रदेश	1	0	32	27	24
चंडीगढ़	0	0	2	2	2
छत्तीसगढ़	0	0	2	1	1
दिल्ली	0	0	2	0	0
गोवा	0	0	7	3	0
गुजरात	1	2	26	22	21
हरियाणा	0	0	25	22	7
झारखंड	0	0	2	2	0
कर्नाटक	0	0	63	52	34
केरल	1	0	29	25	20
मध्य प्रदेश	0	1	12	7	5
महाराष्ट्र	1	0	51	45	37
मणिपुर	0	0	1	1	0
नागालैंड	0	0	2	2	0
ओडिशा	0	0	7	5	5
पुदुचेरी	0	0	1	0	0
पंजाब	0	0	5	3	3
राजस्थान	0	2	5	4	3
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1	4	56	53	48
तेलंगाना	0	0	63	56	34
त्रिपुरा	0	0	1	1	0
उत्तर प्रदेश	1	1	24	21	14
पश्चिम बंगाल	1	2	7	5	7
<b>कुल योग</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>425</b>	<b>359</b>	<b>265</b>

\*\*\*\*\*

अनुबंध-II

अधिस्चित 60 कृषि निर्यात क्षेत्रों की सूची				
क्र.सं.	राज्य		एईजेड परियोजना	जिले/क्षेत्र
1	पश्चिम बंगाल	1	अनानास	दार्जिलिंग, जलपाईगुडी, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, हावड़ा
		2	लीची	मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना (उत्तरी) और 24 परगना (दक्षिणी)
		3	आलू	हुगली, बर्धवान, मिदनापुर (पश्चिम), उदय नारायणपुर, हावड़ा
		4	आम	मालदा और मुर्शिदाबाद
		5	सब्जियां	नादिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना
		6	दार्जिलिंग चाय	दार्जिलिंग
2	कर्नाटक	7	खीरा	तुमकुर, बैंगलोर शहरी, बैंगलोर ग्रामीण, हासन, कोलार, चित्रदुर्ग, धारवाड़ और बागलकोट
		8	गुलाब प्याज	बैंगलोर (शहरी), बैंगलोर (ग्रामीण), कोलार
		9	पुष्प	बैंगलोर (शहरी), बैंगलोर (ग्रामीण), कोलार, तुमकुर, कोडागु और बेलगाम
		10	वनीला	दक्षिण कन्नड़, उत्तरा कन्नड़, उडुपी, शिमोगा, कोडागु, चिकमंगलूर के जिले
3	उत्तरांचल	11	लीची	उधमसिंह नगर, देहरादून और नैनीताल
		12	पुष्प	देहरादून, पंतनगर, उधमसिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी
		13	बासमती चावल	उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार
		14	औषधीय और सुगंधित पौधे	उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधमसिंह नगर
4	पंजाब	15	सब्जियां (गोभी ब्रोकोली, ओकरा, मटर, गाजर, बेबी कॉर्न, हरी मिर्च, हरी बीन्स, टमाटर)	फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, लुधियाना और रोपड़
		16	आलू	सिंहपुरा, जीरकपुर जिला पटियाला और रामपुरा फूल, मुक्तसर, लुधियाना, जुलुंदर में उपग्रह केंद्र
		17	बासमती चावल	गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर और नवांशहर
5	उत्तर प्रदेश	18	आलू	आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नोज, मेरठ, बागपत और अलीगढ़, जनपद बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद, और फिरोजाबाद
		19	आम और सब्जियाँ	लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी
		20	आम	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर,

				ज्योतितनगर
		21	बासमती चावल	बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, जेबी फूलनगर, सहारनपुर, मुज्जफरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और बागपत
6	महाराष्ट्र	22	अंगूर और अंगूर	नासिक, सांगली, शोलापुर, सतारा, अहमदनगर
		23	आम	रंतगिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ और ठाणे
		24	केसर आम	औरंगाबाद, बीड, जालना, अहमदनगर और लातूर
		25	पुष्प	पुणे, नासिक, कोल्हापुर और सांगली
		26	प्याज	नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा, जलगाँव, सोलापुर
		27	अनार	सोलापुर, सांगली, अहमदनगर, पुणे, नासिक, उस्मानाबाद और लातूर जिले
		28	केला	जलगाँव, धुले, नंदुरबार, बुलढाणा, परभणी, हिंगोली, नांदेड और वर्धा
		29	संतरे	नागपुर और अमरावती
7	आंध्र प्रदेश	30	आम का गूदा एवं ताजी सब्जियां	चित्तूर
		31	आम और अंगूर	रंगारेड्डी, मेडक, महबूबनगर
		32	आम	कृष्णा
		33	खीरा	महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक, करीमनगर, वारंगल, अनंतपुर और नलगोंडा जिले
		34	मिर्च	गुंटूर
8	जम्मू और कश्मीर	35	सेब	श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, कठुआ और पुलवामा
		36	अखरोट	बारामुला, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, श्रीनगर, डोडा, पुंछ, उधमपुर, राजौरी और कठुआ
9	त्रिपुरा	37	अनानास	कुमारघाट, मनु, मेलाघर, मातबारी और काकराबन ब्लॉक
10	मध्य प्रदेश	38	आलू, प्याज और लहसुन	मालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम, नीमच मंदसौर और खंडवा
		39	बीज मसाले	गुना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ, रतलाम, शाजापुर और नीमच
		40	गेहूँ (भोपाल जोन के लिए शरबती गेहूँ सहित)	उज्जैन जोन (नीमच, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन), इंदौर जोन (इंदौर, धार, शाजापुर और देवास) और भोपाल जोन (सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर और भोपाल)
		41	दाल और चने	शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुरा, छिंदवाड़ा
		42	संतरे	छिंदवाड़ा होशंगाबाद बेतुल
11	तमिलनाडु	43	पुष्प	धर्मपुरी
		44	पुष्प	नीलगिरि
		45	आम	मदुरई, थेनी, डिंडीगुल, विरुधुनगर और तिरुनेलवेली जिले

		46	काजू	कुड्डलोर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और शिवगंगा
12	बिहार	47	लीची, सब्जियाँ और शहद	मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्व और पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सीतामढी, सारण और गोपालगंज
13	गुजरात	48	आम और सब्जियाँ	अहमदाबाद, खैडा, आणंद, वडोदरा, सूरत, नवसारी, वलसाड, भरुच, नर्मदा
		49	मूल्य वर्धित प्याज	भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़ और जामनगर जिले
		50	तिल के बीज	आम्राली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर
14	सिक्किम	51	फूल (ऑर्किड) और चेरी मिर्च	पूर्वी सिक्किम
		52	अदरक	उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम सिक्किम
15	हिमाचल प्रदेश	53	सेब	शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, चंबा और किन्नौर
16	ओडिशा	54	अदरक और हल्दी	कंधमाल
17	झारखंड	55	सब्जियाँ	रांची, हजारीबाग और लोहरदगा
18	केरल	56	बागवानी उत्पाद	त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलापुझा, पठानामिट्टा, कोल्लम, तिरुवंतपुरम, इडुक्की और पल्लक्कड
		57	औषधीय पौधा	वायनाड, मल्लापुरम, पलक्कड, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोल्लम, पठानामिट्टा, तिरुवनंतपुरम
19	असम	58	ताजा और संसाधित अदरक	कामरूप, नलबाडी, बारपेटा, दरांग, नागांव, मोरीगांव, कार्बी आंगलौंग और उत्तरी कछार
20	राजस्थान	59	धनिया	कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तूर
		60	जीरा	नागौर, बाइमेर, जालोर, पाली और जोधपुर

\*\*\*\*\*

अनुबंध-III

भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड की सूची			
क्र.सं.	डेवलपर का नाम	स्थान	एसईजेड की स्थिति
1	केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए)	मलप्पुरम जिला, केरल	अधिसूचित और प्रचालनशील
2	पैरी अवसंरचना कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित और प्रचालनशील
3	सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड	तूतीकोरिन जिला, तमिलनाडु	अधिसूचित और प्रचालनशील
4	सीसीएल उत्पाद (इंडिया) लिमिटेड	चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित और प्रचालनशील
5	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	दीमापुर, नागालैंड	अधिसूचित
6	अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड	सोनीपत, हरियाणा	अधिसूचित
7	त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	पश्चिम जलेफा, सबरूम, दक्षिण त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा	अधिसूचित
8	अक्षयपात्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	मेहसाणा, गुजरात	औपचारिक अनुमोदन

\*\*\*\*\*

दिनांक 10 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच द्विपक्षीय व्यापार

2579. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री रवि किशन:

श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुधीर गुसा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूके ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों पर चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दोनों देशों ने व्यापारिक उत्पादों के विनिमय (ईटीपी) आरंभ करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और वे त्वरित और ठोस द्विपक्षीय प्रदेय की पहचान करते हुए नियमित आधार पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिससे ईटीपी मजबूत हो सके और दोनों देशों के लोग तुरंत लाभान्वित हो सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत को हुए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोनों देश सीईओ फोरम को पुनः आरंभ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे निकट भविष्य में सीईओ फोरम बैठक के लिए सहमत हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा यूके और भारत के बीच अन्य क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.) : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यूके के बीच 6 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत-यूके द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने दीर्घावधि भारत-यूके साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और दोनों देशों के बीच संवर्धित व्यापार साझेदारी (ईटीपी) के माध्यम से व्यापार सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई।

मंत्रियों ने भारत-यूके सीईओ फोरम को फिर से आरंभ करने के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा शीघ्र ही इसकी बैठक कराने पर सहमति जताई। यूके के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार यूके के साथ सभी व्यापारिक मामलों पर चर्चा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है।